आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 04 / 2013–14

राज्य सरकार द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज
–बनाम–
मोती लाल यादव

–: आदेश :–

22.03.2022 प्रस्तुत वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 34(मु0) / आ0, दिनांक 26.03.2013 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक 68 / आ0, दिनांक 23.02.2013 के द्वारा राजमहल थाना कांड संख्या 42 / 2013 दिनांक 23.02.2013 धारा–07 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जप्त कुल 79 उनासी) बोरा में लगभग 39.50 क्वींटल चावल को राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राजमहल ने दिनांक 19.02.2013 को संध्या 06:45 बजे जन वितरण प्रणाली के 79 बोरा मशीन सिलाई किया हुआ चावल को जप्त किया गया एवं इस कांड में संलिप्त अभियुक्त मोतीलाल यादव, पिता–स्व0 एतवारी गोप, सा0–संग्रामपुर, लालमाटी के विरूद्ध कालाबाजारी के आरोप में राजमहल थाना कांड संख्या 42 / 2013, दिनांक 20.02.2013 दर्ज किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ करते हुए उक्त थाना कांड में जप्त 79 बोरा में लगभग 39.50 क्वींटल चावल के दावे के संबंध में अभियुक्त मोतीलाल यादव से कारण पृच्छा की माँग किया गया एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राजमहल को आदेश दिया गया कि राजमहल थाना कांड संख्या 42 / 2013, दिनांक 23.02.2013 में जप्त चावल को क्षति होने से बचाने के लिए नियमानुसार बिक्री कराकर बिक्री राशि जिला आपूर्ति नजारत शाखा, साहेबगंज में जमा कर नाजिर रसीद न्यायालय को उपलब्ध करायें।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक 355, दिनांक 12.12.2013 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राजमहल थाना कांड संख्या 42 / 2013, दिनांक 23.02.2013 में जप्त 79 बोरा में लगभग 39.50 क्वींटल चावल को बिक्री कर राशि 35,614.00 (पैतीस हजार छः सौ चौदह) रूपये जिला आपूर्ति नजारत में जमा करते हुए नाजीर रसीद जिल्द संख्या 2621 दिनांक 11.12.2013 की छाया प्रति दाखिल किया गया।

विपक्षी कारण पृच्छा के साथ उपस्थित। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपने कारण पृच्छा में बताया गया कि विपक्षी के द्वारा चावल जहाँ पर गया गया है, उस जगह को भाड़े पर लिया गया है एवं उसका भाड़ा भुगतान किया जाता है।

कुमुदनी टुडू, अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को गलत सूचना दिया गया कि चावल का कालाबाजारी किया जा रहा है, जिसके आधार पर उक्त चावल को जप्त कर गलत ढंग से प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	2

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची के द्वारा नईम अख्तर उर्फ नईम शेख –बनाम– झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेशानुसार प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को चावल जप्त करने का अधिकार नहीं है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि विपक्षी उक्त थाना कांड में जप्त 79 बोरा में लगभग 39.50 क्वींटल चावल का दावेदार है, जिसे मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अतएव उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राजमहल थाना कांड संख्या 42/2013 दिनांक 23.02.2013 में जप्त कुल 79 (उनासी) बोरा में लगभग 39.50 क्वींटल चावल विपक्षी के द्वारा कालाबाजारी किया जा रहा था, जिसे 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6(ए) के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि नाजीर रसीद जिल्द संख्या 2621 दिनांक 11.12.2013 से जमा राशि को उचित शीर्ष में जमा करें। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को आदेश की प्रति भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

24/3/12

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त,
साहेबगंज।

24/3/12

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त,
साहेबगंज।

प्रेषक.

ज्ञापांक 384 डी०आ०
07.10.2013

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 16:32:45 +05:30
Location: 192.168.0.141